संख्या–568/IX-1/98(2016) /2021

प्रेषक,

डॉ रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहारादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 17 सितम्बर, 2021

विषय– चारधाम यात्रा संचालन हेतु सार्वजनिक सेवायान के लिए ग्रीनकार्ड जारी करने हेतु भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 168 के उपनियम (6) के प्रथम परन्तुक में निम्न प्राविधान किया गया है–

''परन्तु ऐसे सार्वजनिक सेवायान, जिसमें बैठने की क्षमता चालक सहित 10 सीट या उससे कम है, को उपनियम (4) के अधीन ''ग्रीन कार्ड'' जारी करने हेतु भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नही होगी

परन्तु यह और कि पंजीयन अधिकारी किसी विशेष मामले में वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी अपेक्षा किये जाने पर वाहन स्वामी द्वारा वाहन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।''

राज्य सरकार का ऐसा समाधान हो गया है कि ऐसे सार्वजनिक सेवायान, जिसमें बैठने की क्षमता 10 सीट या उससे कम है, को उपनियम (4) के अधीन ''ग्रीन कार्ड'' जारी करने हेतु भौतिक निरीक्षण कराया जाना जनहित/सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक हो गया है।

अतः उपनियम (6) के द्वितीय परन्तुक में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे सार्वजनिक सेवायान, जिनमें बैठने की क्षमता चालक सहित 10 सीट या उससे कम है, को उपनियम (4) के अधीन ग्रीनकार्ड प्राप्त/जारी करने हेतु वाहन स्वामी/संचालक द्वारा वाहन को संबंधित परिवहन कार्यालय में भौतिक निरीक्षण करने हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उपनियम (6) में वर्णित निरीक्षण में उपयुक्त पाये जाने के आधार पर ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने पर ही ग्रीनकार्ड जारी किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त पंजीयन अधिकारियों का उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या– /IX-1/98(2016) /2021तद्दिनांकित

प्रतिलिप– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) वरिष्ठ निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
(2) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ रंजीत कुमार सिन्हा)